न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 62/2021

1 रणवीर सिंह पुत्र दुलसिंह उम्र 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी त्रिलोकपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कुलदीप पुत्र हेमसिंह।
2 गुड्डू कंवर पुत्र हेमसिंह।
3 जगदीश सिंह पुत्र हेमसिंह।
4 भंवर कंवर पुत्री हेमसिंह।
5 शोभकंवर पुत्र हेमसिंह।
6 करण सिंह पुत्र मोहनसिंह मृतक।
6/1 भवानी सिंह पुत्र करण सिंह।
6/2 जीवण सिंह पुत्र करण सिंह।
6/3 बेबी कंवर पुत्री करण सिंह।
6/4 भंवर कंवर पुत्री करण सिंह।
6/5 सिम्पल कंवर पुत्री करण सिंह।
6/6 विजय पुत्री करण सिंह।
6/7 विजय पुत्री करण सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण त्रिलोकपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8 उप पंजियक तहसील पलसाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर दिनांक 05.02.2021 अनुवानी रणवीर बनाम कुलदीप आदि प्रकरण संख्या 02/2021 आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री नानूराम बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सिकेन्दर सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 16.11.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 02/2021 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट की ओर से भूमि खसरा नम्बर 1009/189 ग्राम त्रिलोकपुरा तहसील दांतारामगढ़ बाबत धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश में अन्तरिम स्थगन पर कोई आदेश पारित नही किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि कीमती है स्थगन के अभाव में अप्रार्थीगण विवादित भूमि को विक्रय कर खुर्द बुर्द करना चाहते है। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण की तामील हो चुकी है अप्रार्थीगण हाजिर हो चुके है इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय में स्थगन पर कोई आदेश पारित नही किया है। अप्रार्थीगण अपीलांट को जबरन बेदखल करने पर उतारू है। अत अपील स्वीकार कर अन्तरिम स्थगन जारी किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2011(2) पेज 978 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से किसी प्रकार का प्रभावी आदेश पारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना किसी प्रभावी आदेश के अपील पोषणीय नही है। पक्षकारो के मध्य धारा 212 का अन्तिम रूप से गुणावगुण पर निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने वर वक्त बहस फर्द के साथ आदेशिका एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 36/2019, आदेशिका एवं दावा संख्या 56/2019, आदेशिका एवं दावा संख्या 29/2019, प्रकरण संख्या 95/2013 में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2019 माननीय राजस्व मण्डल के प्रकरण संख्या 2020/175, आदेश 7 नियम 11 का आवेदन की प्रतियां प्रस्तुत की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से किसी प्रकार का प्रभावी आदेश पारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना किसी प्रभावी आदेश के अपील के स्तर पर स्थगन जारी किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। पक्षकारो के मध्य धारा 212 का अन्तिम रूप से गुणावगुण पर निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर